

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य / भंडार / 5803 / 20-21 / 2021-22

दिनांक : 28-10-2022

बोली सूचना सं. 04 / 2022-23

कार्यालय के उपयोगार्थ स्टेशनरी सामग्री इत्यादि हेतु बोली वर्ष 2022-23 (निविदा स्वीकृति के एक वर्ष तक) हेतु मोहरबंद बोली आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में निर्धारित निविदा शुल्क राशि ₹0 500/- नकद जमा करवाकर दिनांक 10.11.22 को अपराह्न 03.00 बजे तक कार्यालय के भण्डार अनुभाग से प्राप्त की जा सकेगी।

निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाईट education.rajasthan.gov.in/Secondary पर एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड की गई निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹0 500/- का डी0डी0 / बैकर्स चैक "निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर" के पक्ष में बनवाकर संलग्न करना होगा।

निविदाएँ दिनांक 11.11.22 को दोपहर 03:00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथियों में राजकीय अवकाश घोषित होने पर समस्त कार्यवाही अगले कार्य दिवस में सम्पादित की जायेगी।

| क्र. सं. | सामग्री का विवरण | अनुमानित मूल्य | धरोहर राशि | निविदा शुल्क | दर अनुबन्ध अवधि (एक वर्ष) |
|----------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|
| 1 | लेखन, मुद्रण एवं स्टेशनरी सामग्री | 14.93 लाख | 30000/- | 500/- | वर्ष 2022-23 |

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(वेबपोर्टल पर अपलोड हेतु)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

टेंडर फार्म शुल्क 500/-रुपये

दर अनुबन्ध निविदा का प्रारूप

1.(वस्तुओं का नाम जिनके लिए दर अनुबन्ध दरें प्रस्तुत की गई है) के लिए निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता :-

3. किस को सम्बोधित किया गया है :-.....
4. सन्दर्भ :-.....
5. निविदा शुल्क की राशि नकद / डी.डी. / बैंकर्स चैक संख्या.....
दिनांक बैंक का नाम
6. हम द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक
के साथ संलग्न सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से वाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इसके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
7. निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिए अनुबन्ध दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गयी है:-

| क्र.सं. | सामग्री/वस्तु का नाम मय स्पेसिफिकेशन | अनुमानित मात्रा | प्रस्तुत दरें (रुपये) जी0 एस0 टी0 सहित |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आलपिन पैकेट (जेब्रा / समकक्ष) | 400 डिब्बी | |
| 2 | स्टेपलर मशीन 10 नं. (कंगारू / समकक्ष) | 100 नग | |
| 3 | स्टेपलर मशीन 45 नं. (कंगारू / समकक्ष) | 100 नग | |
| 4 | फाईल लेस ग्रीन 24" | 500 पैकेट | |
| 5 | फाईल टेग रंगीन (800 पीस पैकेट) परनामी / समकक्ष | 100 पैकेट | |
| 6 | रबड इरेजर (नटराज / कैमलीन / समकक्ष) | 500 नग | |
| 7 | पेसिल एच बी (नटराज / कैमलीन / समकक्ष) | 1000 नग | |
| 8 | शार्पनर (नटराज / कैमलीन / समकक्ष) | 500 नग | |
| 9 | फाईल पैड | 2000 नग | |
| 10 | सुआ प्लास्टिक हत्था | 200 नग | |
| 11 | फोटो स्टेट एफ एस रिम 70 जीएसएम (जे.के. / माईच्वाईस / समकक्ष) | 1500 रिम | |

15/1 *20/10/2024* *30/10/2024*
कुमाल नरेन सिंह *म*

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------|------------|--|
| 12 | फोटो स्टेट ए-4 रिम70 जीएसएम (जेके / माईच्वाईस / समकक्ष) | 6000 रिम | |
| 13 | फाईल कवर नं0 375(अजय / समकक्ष) लेमीनेशन | 25000 नग | |
| 14 | स्टेपलर पिन नं0 10 (कंगारू / समकक्ष) | 400 डिब्बी | |
| 15 | स्टेपलर पिन नं0 45 (कंगारू / समकक्ष) | 400 डिब्बी | |

8. कॉलम संख्या 04 में दरें जी0एस0टी0 सहित प्रति यूनिट/प्रति नग उद्धत की जानी अनिवार्य है।
9. फर्म को आदेश प्राप्त करने के दिनांक से एक सप्ताह की अवधि में सामग्री की सुपुर्दगी करनी होगी।
10. ऊपर उद्धत की गयी दरें आदेश देने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
11. बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक संख्या.....जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या...../चालान संख्या.....दिनांक.....रुपये के लिए वयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
12. यदि जी0एस0टी0 फर्म नहीं है तो उस निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. विनिमाता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाता है।
14. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹0 500/- नकद/बैंकर्स चैक/डी.डी. तथा धरोहर राशि ₹0 30000/- नकद/बैंकर्स चैक/डी.डी. "निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर" के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।
15. दरें जी0एस0टी0 सहित अंकित करनी अनिवार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

The image shows four handwritten signatures or initials in blue ink. From top-left to bottom-right, they appear to be:


- A signature consisting of two curved strokes.
- A signature consisting of three horizontal strokes.
- A signature consisting of a series of vertical and diagonal strokes.
- A signature consisting of a series of vertical and diagonal strokes, with the number '30000/-' written above it.
- A large, stylized signature that includes the text "माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर".
- A small, simple signature consisting of a few short strokes.

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

खुली बोली के लिए बिड एवं बिड की शर्तें
(देखिए नियम 68)

टिप्पणी – बोलीदाता को चाहिए की इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ ले और अपनी बिड भेजते समय इनका कठोरता से पालन करें।

- बिड को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है।
- (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
- जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन से मुक्त होने की श्रेणी में अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
- राज्य सरकार के जी0एस0टी0 (GST) प्रावधानों/नियमों की पालना आवश्यक रूप से की जायेगी।
- निविदा प्रारूप नीली/काली स्याही के बॉलपैन से या टकंण से ही भरा जाएगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- दरे शब्दों एवं अंकों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Error) एवं या/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरें जी0एस0टी0 सहित दर्शानी होगी।
- दरें जी0एस0टी0 सहित गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुशांगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए। माल की सुपुदर्गी क्रेता अधिकारी परिसरों पर दी जाएगी।
- विधि मान्यता: निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

9. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह माना जावेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दषा, स्पेशिफिकेशन, साईज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जाँच करली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
10. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेंगा या उप भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
11. (i) विशेष विवरण (स्पेशिफिकेशन) मुद्रण/प्रदाय की गयी सभी वस्तुएँ बिड में निर्धारित स्पेशिफिकेशन, आवश्यक जी०एस०एम० कागज तथा प्रिटिंग होने वाले मैटर तथा स्याही के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर स्पेशिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होना तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
- (ii) यिन्ह से अंकित/क्रम संख्या.....पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य वातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहाँ कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युतम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएँ स्पेशिफिकेशन के अनुरूप हैं तथा क्या वे सैम्प्ल, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (iii) वांरटी एवं गांरटी का खंड: निविदादाता यह गांरन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उस/माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुदर्गी के दिनांक से दिनांक/माहों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी। ताकि इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो यदि दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तु विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे निविदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्तें के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।

— अमल नानासिंह —
Signature of Amal Nanasaheb

Signature of K. S. R. Iyer

Signature of B. M. G. W.

12. सैम्पल: प्रत्येक सैम्पल या किसी रिलप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांधकर उसे उपयुक्त रूप में चिन्हित किया जायेगा तथा उस पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूचि में नमूना है, आदि लिखे जायेंगे ।
13. अनुमोदित सैम्पलों को संविदा के समाप्त होने के बाद 6 माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जायेगा । इस अवधि में इन सैम्पलों को प्रतिधारित (Retainted) किया जायेगा परन्तु उसमें किसी क्षति टूटफुट, परीक्षण, जाँच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी । निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सैम्पलों को वापिस लिया जायेगा । सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी । संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा सम्प्रहत (Forfeit) कर लिया जाए तथा उनकी लागत आदि के कोई व्यवस्था नहीं किया जायेगा ।
14. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये नमूनों को इकठा किया जायेगा । जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, टूट फुट, या परीक्षण, जाँच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी । जो नमूने वापस नहीं लिये जायेंगे उन्हें सम्प्रहत किया जायेगा । तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
15. परीक्षण प्रभार: परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे । यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण करना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सुनवाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे ।
16. रद् करना (Rejection): (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद् किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा ।
(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तत्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण, या आंशिक रूप से उन वस्तुओं का बदला साध्य (feasable) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राषि की कटौती करेगा । इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी ।
17. रद् की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद् करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा ।


अमल अमरीष्य



18. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी सतुर्षि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार का निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

19. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

20. (i) सुपुर्दगी अवधि: बोलीदाता जिसकी विड स्वीकार की जाएगी, वह मुद्रण आदेश की तारीख से 03 दिवस के भीतर तक (मैटर प्रूफ रिडिंग पश्चात) सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

| क्रम संख्या | मद | मात्रा | सुपुर्दगी अवधि |
|-------------|----|--------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |

(ii) दर अनुबन्ध अवधि को / मात्रा को नियमानुसार (RTPP) बढ़ाने/धटाये जाने हेतु क्रेता अधिकारी पूर्णतः सक्षम होगा।

(iii) दर अनुबन्ध अवधि/मात्रा को पारदर्शिता नियम 2013 के नियमों के अनुसार वृद्धि करने हेतु क्रेता अधिकारी पूर्णतः अधिकृत होगा।

21. बायाना राशि (अर्नेस्ट मनी):

(क) बोली प्रतिभूति राशि रु0 30000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान वीकानेर" के पक्ष में जमा करना होगा इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

23. (1) करार एवं प्रतिभूति निष्केप (Agreement and Security Deposit):

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 02 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य का एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

साथ ही राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (संशोधन 2017) की अनुसूची के आर्टिकल 5 के खण्ड(एफ) के अनुसार 500/- स्टाम्प ड्यूटी प्रभारित की जायेगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे –

(क) नक्सा/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक

(ख) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेंविरस सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।


The image shows three handwritten signatures or marks in blue ink, likely representing signatures of the parties involved in the agreement. The marks are stylized and vary in complexity.

- (2) (i) आयुक्त, उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रेशन फर्म को उन सामानों के संबंध में जिनमें लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर बायाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी ।
- (ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे ।
- (3) प्रतिभूति निक्षेप का सम्पहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों से सम्पहत किया जाएगा—
- (क) जब संविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो ।
- (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो ।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप को सम्पहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा । इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।
- (4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

24. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा । यदि सामान भेजा दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो तो प्रदाकर्ता (सप्लायर्स) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी ।
- (ii) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए ।
- (iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा ।
- (iv) भुगतान करने के लिए गए प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएं ।

25. बीमा:

- (i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएं । यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी नाश या क्षय द्वारा या आग बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दर्गों आदि) द्वारा हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।
- (ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा । ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शखाओं से कराया जाना चाहिए ।

  
—

26. भुगतान:

- (i) दुलभ एवं विषिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा । यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/ प्रतिष्ठित गुडस, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण यदि कोई हो, किए जाने पर दिया जाएगा । अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निविदादाता को नहीं दिए गए उस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किए जाने पर दिया जाएगा ।
- (ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार विल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे ।
- (iii) जब विवादस्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा ।
- (iv) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम वहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे ।
- (v) दर संविदा किए जाने के उपरांत यदि संविदाकर्ता फर्म द्वारा संविदा में सम्मिलित कोई सामग्री संविदा अवधि में राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग/ कार्यालय को संविदा दर से कम दर पर आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार इस विभाग में की गयी आपूर्ति की दरें भी तदनुसार कम की जा सकेंगी ।
27. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विर्निदिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

(ii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages): परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिष्ठता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है—

- (1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक अवधि किन्तु विहित अवधि की आधी से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
- (2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा ।
(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।
(4) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं वाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन वाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा व कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।
(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई वाधा निविदादाता के नियत्रण से परे कारणों से हुई तो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेंगी ।

28. वसूलिया: परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद् किए गए वस्तुओं के लिए साधारण रूप से विल में से की जावेगी । कम सप्लाई टूटफूट/ रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिकवीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (ड्यूज) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निष्क्रेप से की जाएगी । यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पीडी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी उन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

29. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए ।

30. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद् कर दिया जाएगा। किसी भी सूत्र में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विषेषरूप से उल्लिखित ने किया गया हो।

31. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा की नहीं है, स्वीकार करने, बिना किसी कारण बताये किसी भी निविदा को रद् करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म / सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

32. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:-


- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रामाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ कामर्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

33. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप-अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

34. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेष की जाएगी अन्यत्र पेष नहीं की जाएगी।

क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अर्थीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक पितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर


मल नम्रिं
2022
30/06
7

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/ उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेण्ट हूं/ हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पर्छत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नोट :—

1. जो लागू न हो उसे काट दें।
2. कृपया घोषणा के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "मैल बनन स्टोर्स". The signature is written in a cursive style with some loops and variations in thickness.